

अनुसूची-दो ख  
{ नियम 11 (2) देखिये }

प्रारूप एल डी-2

(विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 के अधीन बाट  
और माप विक्रेता के रूप में अनुज्ञप्ति नवीनीकरण हेतु आवेदन )

प्रति,

.....  
.....  
.....

	आवेदक द्वारा भरा जाए	निरीक्षण अधिकारी की टीप
(1)	(2)	(3)

- 1 स्थान/दुकान/व्यक्ति का नाम जिसने  
अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण चाहा है । -----
- 2 विक्रेता अनुज्ञप्ति क्र. -----
- 3 स्थापन का दिनांक -----
- 4 स्वामी तथा/या भागीदार तथा मर्यादित कंपनी  
की दशा में, प्रबंध निदेशक (निदेशकों) के नाम -----  
तथा (पते) उनके पिता/पति के नाम सहित। -----
- 5 दुकान/स्थापन/नगरपालिक व्यवसाय अनुज्ञप्ति  
का पंजीयन क्र. तथा दिनांक । -----

- 6 वर्तमान में बेचे गए बाट एवं माप का प्रवर्ग । -----
- 7 वैट/सीएसटी/विक्रय कर/व्यावसायिक कर/  
आई टी का पंजीयन क्र. । -----
- 8 क्या आप बाट इत्यादि को राज्य/देश के बाहर -----  
के स्थानों से आयात करना चाहते हैं ? यदि हां -----

(1)

(2)

(3)

तो राज्य (राज्यों)/देश (देशों) से आपूर्ति का  
स्रोत बताएं ।(निमाता का ट्रेडमार्क मोनोग्राम तथा  
उसकी अनुज्ञप्ति क्र. का विवरण दें)

आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रमाणित किया जाए

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने/हमने विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 तथा (राज्य का नाम  
)विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2010 का अध्ययन कर लिया है तथा उसके द्वारा तथा उसके अधीन  
जारी किए गए या जारी किए जाने वाले प्रशासनिक आदेशों तथा निर्देशों का पालन करने के लिए वचनबद्ध  
हूँ/हैं ।

मैं/हमने अनुसूचित अनुज्ञप्ति शुल्क रू.....(रू.....).....उप  
कोषालय/बैंक में जमा कर दिया है तथा मूल चालान संलग्न है ।

ऊपर दी गई समस्त जानकारी/मेरे हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है ।

स्थान:

-----

दिनांक:

हस्ताक्षर एवं पदनाम

